

किस्म.....

उजवान.....


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

५/१/२५ पत्रावली पैरा हुई। बार-बार आतज
दिवाने के उपरान्त भी वारी एवं उनके
अधिकता ३५० नहीं हुए। अतः मुद्रमा
नं. २१/१७ उजवान केरानी वनाम
सायूजाटव रावा बाबत स्याई
निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर बाद तम्नील नं. से कम
की जाकर राखिल इफतर है।

आदेश खुले न्यायालय में

सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कौली)